

कार्यालय प्राचार्य, पं. रेवती रमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक 92/स्था./2014.

सूरजपुर, दिनांक 24/06/2014.

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्राचार्य, पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सूचना।

संदर्भ :- 01. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का आदेश पृ. क्र. एफ
1-11/2013/38-1 नया रायपुर दिनांक 20/06/2014
02 कार्यालय प्राचार्य, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर
का पत्र क्र. 289/स्था/2014 अम्बिकापुर दिनांक 23/06/2014

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा प्राध्यापक पद से स्नातक प्राचार्य पद पर मेरी पदोन्नति की जाकर पं. रेवती रमण मिश्र शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर जिला-सूरजपुर में पदस्थापना की गई है। संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुझे कार्यमुक्त किया गया है। अतएव आदेश पालनार्थ मैंने आज दिनांक 24/06/2014 को पूर्वान्ह में इस महाविद्यालय में प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

S.S. Agrawal
(डॉ. एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

पं. रे. र. मि. शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 93/स्था./2014.

सूरजपुर, दिनांक 24/06/2014.

प्रतिलिपि :-

- 01 सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- 02 कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, को सादर सूचनार्थ।
- 03 कलेक्टर, जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 04 क्षेत्रीय अपर संचालक, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
- 05 प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
- 06 कोषालय, अधिकारी सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

S.S. Agrawal
(डॉ. एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

पं. रे. र. मि. शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



of

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर
-- 0 --

// आदेश //

नया-रायपुर, दिनांक 20.06.2014

क्रमांक एफ 1-11/2013/38-1 :: राज्य शासन, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में कार्यरत, निम्नलिखित पदोन्नत प्राध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, रनातक प्राचार्य के पद पर वेतनमान रूपये 37400-67000+10000/ ए.जी.पी.+2000/ विशेष भत्ता में पदोन्नत कर, उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	डॉ. ए.के. जायसवाल	शास. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी, जिला बलौदाबाजार
2.	डॉ. ओ.पी. दुबे	शास. महा.राजिम, जिला रायपुर	शास. कचना ध्रुवा महाविद्यालय छुरा, जिला गरियाबंद
3.	डॉ. धनराज प्रसाद साहू	शास. पी.जी.महा. कोरबा जिला कोरबा	शास. महाविद्यालय, करतला, जिला कोरबा
4.	डॉ. श्रीमती शीला अग्रवाल	शास.कला, विज्ञान महा. दुर्ग जिला दुर्ग	शास. कंगला मांझी महाविद्यालय डोंडी, जिला बालोद
5.	डॉ. श्रीमती आभा तिवारी	शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर जिला रायपुर	शास. चन्द्रपाल महाविद्यालय, पिथौरा, जिला महासमुन्द
6.	डॉ. श्रीमती अरुणा चौबे	शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर जिला रायपुर	शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला धमतरी
7.	डॉ. विन्यावीन मसीह जूरी	शास.पी.जी. महा. धमतरी	शास. वीर गेंदसिंह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला-कांकर
8.	डॉ. श्रीमती मधु श्री दुबे	शास. छ.ग. पी.जी. महा. रायपुर	शास. महाविद्यालय, फास्टरपुर(सेतगंगा) जिला मुंगेली
9.	डॉ. श्यामसुन्दर अग्रवाल	शास. पी.जी. महा. अंबिकापुर जिला सरगुजा	शास. रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर जिला सूरजपुर
10.	डॉ. संतोष कुमार अग्रवाल	शास.टी.सी. एल. महा. जांजगीर, जिला जांजगीर	शास. महाविद्यालय, बलौदा, जिला महासमुन्द
11.	डॉ. मदनलाल लखनपाल	शास.पी.जी. महा. जगदलपुर जिला बस्तर	शास. महाविद्यालय, भानपुरी जिला बस्तर
12.	डॉ. चन्द्रकांता शर्मा	शास.महा. कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव	शास. महा. भखारा जिला धमतरी
13.	डॉ. श्रीमती शैलजा निगम	शास. विज्ञान महा. रायपुर	सत्यनारायण अग्रवाल शास. महाविद्यालय कोहका, तिल्दा नेवरा जिला रायपुर
14.	डॉ. सतीश कुमार अग्रवाल	शास.टी.सी. एल. महा. जांजगीर	शास. मुकुटधर पांडे महाविद्यालय, कटघोरा जिला कोरबा

25/6/14



38.	डॉ. कुंजबिहारी शर्मा	शास.कन्या महा. दंतेवाड़ा	शास. महाविद्यालय लवन जिला बलौदाबाजार
39.	श्री परमेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी	शास. महा. गण्डई	शास. कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा
40.	डॉ. रामेन्द्र कुमार शुक्ला	शास. कन्या महा. दंतेवाड़ा	शास. महाविद्यालय बेलोदी, जिला बालोद
41.	डॉ. चेतनराम पटेल	शास.महा. सुकमा	शास. शहीद गेंद सिंह महाविद्यालय चारामा जिला कांकेर
42.	डॉ. शिव दयाल गुप्ता	शास.महा. बगीचा	शास. महाविद्यालय कांसाबेल जिला जशपुर नगर
43.	डॉ. राजेश कुमार सक्सेना	शास.पी.जी. महा. कोरबा	शास. महाविद्यालय दीपका जिला कोरबा
44.	डॉ. आलोक मिश्रा	शास.दिग्विजय महा. राजनांदगांव	शास. महाविद्यालय खेरथा जिला बालोद
45.	डॉ. अमिताभ बनर्जी	शास. दू.ब. महिला महा. रायपुर	शास. सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी सिहावा, जिला धमतरी
46.	डॉ. संतोष सिंह	शास.पी.जी. कला/विज्ञान महा. दुर्ग	शास. एन.सी. जैन महाविद्यालय दल्लीराजहरा, जिला बालोद
47.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	शास. विज्ञान महा. रायपुर	शास. लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगढ़ जिला रायगढ़
48.	डॉ. श्रीमती अनिता महेश्वर	शास.दिग्विजय महा. राजनांदगांव	शास. महाविद्यालय बोड़ला जिला कवर्धा
49.	डॉ. श्यामलाल निराला	शास.महा. अकलतरा	शास. महाविद्यालय बरपाली जिला कोरबा
50.	डॉ. श्रीमती शिखा शर्मा	शास.पी.जी. महा. कोरबा	शास. इंदिरा गांधी महाविद्यालय, पण्डरिया, जिला कबीरधाम
51.	डॉ. श्रीमती सरला आत्राम	शास.पी.जी. महा. कांकेर	शास. महाविद्यालय सरोना जिला कांकेर
52.	डा. श्रीमती ज्योति लाल	शास. एन.ई.एस. महा. जशपुरनगर	शास. कोदू राम दलित महाविद्यालय नवागढ़ जिला बेमेतरा
53.	डॉ. तिलकराम रात्रे	शास.पी.जी. महा. जगदलपुर	शास. महाविद्यालय तोकापाल जिला बस्तर जगदलपुर
54.	डॉ. के.आर. मंडावी	शास.महा.अंबागढ़ चौकी	शास. कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय लालबहादुर नगर जिला राजनांदगांव
55.	डॉ. एच.पी. खैरवार	शास.पी.जी. महा. कोरबा	शास. महाविद्यालय भैंसमा, जिला कोरबा
56.	डॉ. श्रीमती उमा निर्मला लकड़ा	शास.एन.ई.एस.महा. जशपुरनगर	शास. बाला साहेब देशपांडे महाविद्यालय कुनकुरी जिला जशपुर नगर

2/ यह आदेश विभाग की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है । पदोन्नत अधिकारी आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में, पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश एकतरफा निरस्त माना जावेगा।

3/ लोक सेवा आयोग से प्राप्त सूची अनुसार पदोन्नति आदेश जारी किया गया है। वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया जावेगा।

4/ सूची में पदस्थापना स्थान, नाम या अन्य किसी विवरण में लिपिकीय त्रुटि होने की दशा में संबंधित अधिकारी के द्वारा विभाग का ध्यान तत्काल अभ्यावेदन देकर आकर्षित किया जावे, जिसे पृथक से दुरुस्त किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अरुण कुमार चांदे
20/6/14

(अरुण कुमार चांदे)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
नया-रायपुर, दिनांक 20.06.2014

पृ0कमांक एफ 1-11/2013/38-1
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया-रायपुर।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया-रायपुर।
5. महालेखाकर, छत्तीसगढ़ रायपुर।
6. सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. अपर संचालक, आयुक्त कार्यालय इंदावती भवन नया रायपुर कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबासाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी छत्तीसगढ़।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. आदेश फोल्डर।

अरुण कुमार चांदे
20/6/14

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

1982

पंजी क्रमांक 7-7-82
पंजी क्रमांक 7-7-82

Amn

(11)

भोपाल, दिनांक 18 पुन, 1987.

क्रमांक एक 1/ 37 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एम॥1॥
द्वारा म090 राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्म से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक
को स्थानावन्न स्म से आगामी आदेश तक राजनीति विभाग विषय के सहायक
प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा में रु0 700-40-
1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में परीबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
साठ 184. कुमारी हेमनारायण दुबे आत्मजा श्री शशी0 दुबे	27-8-1962 जानकारियों मूल अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित [Signature]	शासकीय महाविद्यालय, खजपुर, खजपुर
शासकीय महाविद्यालय, खजपुर	अतिरिक्त संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा नं० प्र० खिलासपुर सम्भाव खिलासपुर (नं० प्र०)	

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

- 4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके स्वयं से एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।
- 5- बद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि { मास्टर्स डिग्री } के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि { यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है } प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

{ जी०पी० त्रिवारी }
उप सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक 18-6-1987.

सू० क्रमांक एफ 1/ 37 /87/ए-1/38,

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय सुरजपुर (सरगुजा)
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल { 10 प्रतियों में }
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

एक प्रति प्राप्त की



{ पी०एच० मरहात }

उप अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आ. दे. श.

भोपाल, दिनांक- 30-11-94

क्रमांक एफ-1/135/93/ए-1/38 समाजशास्त्र-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद पर वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

क्र०	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1.	2.	3.
68.	श्री विनोदानंद झा द्वारा-धीरेंद्र मिर, कार्यालय लेख निदेशक, डाक एजेंसी वहीसर रोड़, पटना ॥ बिहार ॥	शा० महा० तामिया, जि०-छिंदवाड़ा
69.	श्रीमति मंजू राजोरिया, 6/4, चंद्रभागा जूनी, इंदौर इंदौर ॥ म०प्र० ॥	शा० कन्या महा० खरगौन.
71.	कु० प्रतिभा कश्यप, करोड़ीमल कालोनी, क्वा० नं०-3, अनाथालय के पास, रायगढ़.	शा० महा० हरपालपुर ॥ छतरपुर ॥
72.	श्री उदयशंकर श्रीवास्तव, द्वारा-डॉ० कृष्णदेवा वर्मा, प्रा. कोयलाघाट रोड़, छोटी खजरपुर, भागलपुर ॥ बिहार ॥	शा० महा० भीकनगांव ॥ खरगौन ॥
73.	श्री जयेंद्र सिंह राठौर, सी-279, त्रिवेणी नगर, श्री गंज, उज्जैन.	शा० महा० जतारा ॥ टीकमगढ़ ॥
75.	कु० शशि गुप्ता, श्री जी०सी० गुप्ता, प्राचार्य, शा० महा० सारंगगढ़ ॥ रायगढ़ ॥	शा० महा० जैतपुर ॥ शहडोल ॥
76.	श्री गुप्तेश्वर दास द्वारा-श्री पी०के० स्फाक, धंगला जहदाभाटा मंदिर, चाक बिनातपुर.	शा० महा० लांजी ॥ बालाघाट ॥

- | 1. | 2. | 3. |
|-----|--|--|
| 77. | श्री यशपाल सिंह,
मुजफ्फरपुर-18, दही,
बहाया-दाराद, जिला-बिलासपुर | शा० महा० पलेरा ॥टीकमगढ़॥ |
| 78. | श्री राकेश कुमार पौडार,
132, ब्रम्हपुर होस्टल,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली. | शा० महा० नई गढ़ी, रीवा |
| 79. | श्री सुनील गोयल,
जी-15, कृषि नगर, इंदौर | शा० महा० सारणी ॥बैतूल॥ |
| 80. | श्री संजय जोशी,
डॉ० एच०पी०जोशी,
मकान नं०-337, काटजू नगर,
रतलाम ॥म०प०॥ | शा० महा० जीरापुर ॥राजगढ़॥ |
| 81. | कु० कुममा भारद्वाज,
सहायक प्राध्यापक, शा० कला/
वाणिज्य महा० भोपाल
॥आपाती सहायक प्राध्यापक॥ | शा० कला/वाणिज्य हमीदिया महा०
भोपाल. |
| 83. | कु० इंदिरा वर्मन,
॥श्रीमति वर्मन॥
द्वारा-श्री एम०के०वर्मावरगैया,
टाइप डिप्टी, 73-ए०जी० कालोनी,
कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल. | शा० नर्मदा महा० होशंगाबाद |
| 84. | श्री राकेश सिंह चौहान,
52/ए, सुदामानगर, ॥फूटी कोठी रोड॥
इंदौर. | शा० महा० जौरा ॥मुरैना॥ |
| 85. | श्री सुधीर कुमार सक्सेना,
सी. एम. 124, श्रद्धा सेखालिया,
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, इंदौर | शा० महा० करैरा ॥शिवपुरी॥ |
| 86. | श्री श्रीनिवास मिश्र,
द्वारा-श्री टी०पी०मिश्रा ॥लिपिक॥
/लेखापाल, शयमशाह चिकित्सालय
महाविद्यालय, रीवा. | शा० महा० हटा ॥दमोह॥ |
| 87. | श्रीमति अर्चना शुक्ला,
द्वारा-श्री आर०एस०शुक्ला,
शर्मा बिल्डिंग, तेलीपारा,
बिलासपुर ॥म०प०॥
॥आपाती सहायक प्राध्यापक॥ | शा० महा० खरतिया ॥रायगढ़॥ |


कार्यालय-आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भीपाल-462004

// आदेश //

भीपाल, दिनांक 7 जनवरी, 95

क्रमांक 27 /6433/आउशि/राज. स्था/से/शा-5/94, कु. प्रतिभा कश्यप, जिनकी पदस्थापना मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/135/93/ए-1/38, दिनांक 22.12.94 द्वारा सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र के पद पर शासकीय महाविद्यालय, छपारा, सिवनी में की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए अब इन्हें शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर में सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र के पद पर पदस्थ किया जाता है।



सुधीर चतुर्वेदी

आयुक्त, उच्च शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन

पृष्ठांकन क्रमांक 28 /6433/आउशि/राज. स्था/से/शा-5/94, भीपाल, दिनांक 7 जनवरी 95.

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भीपाल।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भीपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर इस आशयसे कि संबंधित अधिकारी की उपस्थिति की सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल दें।
6. संबंधित आतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित अधिकारी की ओर तत्कालमालमार्थ एवं इस आशय से कि नव पदांकित स्थान पर दिनांक 15.1.1995 तक कार्यभार ग्रहण करें।


डा. व्ही. एस. सिंह

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



NAAC "A"
website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224240

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

256.

आदेश

क्रमांक /स्था./2016

बिलासपुर, दिनांक / /2016

उप सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 1-21/2016/38-1 नया रायपुर, दिनांक 23.07.2016 के तहत डॉ. (श्रीमती) कल्याणी जैन, सहा. प्राध्यापक (हिन्दी), शास. बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर का प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुये शासकीय रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर (छ.ग.) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।

उक्त आदेश के परिपालन में डॉ. (श्रीमती) कल्याणी जैन, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) को आज दिनांक 01.08.2016 को पूर्वोक्त/अपराह में स्थानान्तरित संस्था शासकीय रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर (छ.ग.) के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

(डॉ. एस. आर. कमलेश)
प्राचार्य

शास. बिलासा कन्या स्नातको. महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर, दिनांक / /2016

पृ.क्रमांक 688 /स्था./2016
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहा., मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. उप सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचानालय, ब्लाक सी- 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
5. महालेखाकर छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)।
7. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, शास. ई. राघवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, सीपत रोड, बिलासपुर को सूचनार्थ।
8. प्राचार्य, शासकीय रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. महालेखाकर छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
11. विभागाध्यक्ष हिन्दी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।
12. डॉ. (श्रीमती) कल्याणी जैन, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत नस्ती।
15. कार्यालयीन प्रति।

PRINCIPAL,
शास. बिलासा कन्या स्नातको. महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)

85
10

4

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

गोपाल, दिनांक 19/4/1990.

क्रमांक 1635/30-1/90 - संलग्न परिशिष्ट में अंकित विषय / विषयों के प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा & उच्च शिक्षा & में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर रथा मासिक रूप से आगामी आदेश तक रु 2200-75-2900-100-4000 के यूजीसी वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदार्पण उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एज में 30 माह का वेतन दिया जा कर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम ही पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में दिनांक 30.4.90 तक निश्चिंत रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7/ पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता & यदि अभी कहीं सेवा में है, तो & द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

19490

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर..... 2

// 2 //

क्र० 1636 / 30-1/90

भोपाल, दिनांक 19/4/1990.

तितिपि :-

आयुक्त, उच्च शिक्षा, MO प्र०, भोपाल ।

समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय
संबंधित प्रत्याशी & अपने मूल प्रमाण -पत्रों को प्राचार्यो से उपस्थापित
कराने के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करें ।

विशेष सहायक मामलों में उच्च शिक्षा मंत्री जी, MO प्र० ।

संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही का अंश

अ- नियुक्त प्रत्याशी की जन्म तिथि, पी.एच.डी./एम.फिल., स्नातक
स्नातक, हायर सेकेंडरी के मूल प्रमाण पत्रों /अंक सूचियों एवं महाविद्यालयों
के अध्यापन अनुभव & यदि हो & के मूल प्रमाण पत्र स्थापित कर कार्यभार ग्रहण कराये । अनुचित जाति/अनुसूचित
जन जातितथा विकलांग प्रत्याशीके मूल प्रमाण पत्र भी स्थापित
बाद स्थापन निम्न प्रपत्र से संबंधित सहायक प्राध्यापक का
विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रेषित करें ।

- 1- नाम 2- जन्म तिथि 3- विषय जिसमें नियुक्ति दी गई
- 4- सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/दूसरे
- 5- शैक्षणिक योग्यता - हायर सेकेंडरी/स्नातक/स्नातकोत्तर
- 6- पूर्णांक प्राप्तार्क एवं प्रतिशत & दशमलव में दो अंक तक
- 7- पी.एच.डी. का परिणाम, नोटिफिकेशन का विवरण 7- प्रमाण पत्र धारक /विषय होने का प्रमाण पत्र ।

प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करलें कि प्रत्याशी ने स्नातकोत्तर उपाधि
आध उपाधि उसी विषय में प्राप्त की है।

यदि महाविद्यालय में पद रिक्त न हो तो भी प्रत्याशी को पद
ग्रहण करवा कर उसकी जानकारी संबंधित इस विभाग को भेजी जाये।

19490
अवर सचिव
MO प्र० उच्च शिक्षा

11 3 1

:: परिशिष्ट ::

नाम	पता	परिचय का स्थान
2.	3.	4.

विषय :- वाणिज्य
 श्री एमके0 उदौक, टी.जी.टी.डी.एम.एस. भारतीय महाविद्यालय
 क्षेत्रीय शिक्षा महा0 श्यामला विश्व
 गिरि भोपाल ।

विषय :- अर्थशास्त्र
 श्री के0 आनन्द कौशिक द्वारा- श्री वी.पी.तुक्काराव भारतीय महाविद्यालय
 सीनियर पी.ए., जी.एम. कोटा / दिल्ली
 आर्जित तोडागपुर एरिया
 एल.पी.सी.एल. श्यमपुरी श्रद्धा

विषय :- हिन्दी
 श्री तुनील कुमार हुवे स्पेट बैंक काशीकी शिक्षा स्टोरी भारतीय महाविद्यालय
 (विकलांग) मकान नं. 2 धर्मदेव बाग परमबहादुर / श्यामपुर

कुमारी परमजीत सलूजा दयालबन्द, नारियल कोठी भारतीय महाविद्यालय
 विलासपुर माहाधारा / रायपुर
 कुमारी कल्याणी जैन डी.-6 विनोया नगर भारतीय महाविद्यालय
 विलासपुर मालवपुर / विलासपुर

विषय :- रसायन शास्त्र
 कुमारी अनुभा शर्मा द्वारा- श्री प्रेमनारायण शर्मा भारतीय महाविद्यालय
 (शुक्ला) रनी. उहाडके, उपर जनकपुर कुम्हारदेव
 लखर, नवालिपर

विषय :- अंग्रेजी
 कुमारी दीपिका एस. दाला नं. 2 नीमच केंद्र भारतीय महाविद्यालय
 नागाकर नीमच अगात

Handwritten signatures and text at the bottom of the page.

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय, ओडगी

जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / / 2012

ओडगी, दिनांक / / 2012

प्रति,

अपरसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
मन्त्रालय रायपुर

विषय - कार्यभार ग्रहण करने की सूचना बाबत।
सन्दर्भ- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86/स्था/2012, ओडगी, दिनांक 27.11.2012

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पृ. आदेश क्रमांक 3965/3196/2012/38-1, नया रायपुर, दिनांक 12.11.2012 के तहत श्री चन्द्रभूषण मिश्रा, का सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर नियुक्ति की गयी है, जिसके परिपालन में श्री मिश्रा ने दिनांक 24.11.2012 अपरान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किये। सन्दर्भित पत्र में पूर्वान्ह उल्लेखित है, अतः पूर्वान्ह के स्थान पर अपरान्ह पढ़ा जावे। सूचनाार्थ प्रेषित।

प्राचार्य


शासकीय नवीन महाविद्यालय ओडगी

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 91/स्था/2012

ओडगी, दिनांक 30/11/2012

- प्रतिलिपि:-
01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर.
 02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन मन्त्रालय रायपुर.
 03. मुख्य सचिव, के अवर सचिव छ.ग. शासन मन्त्रालय रायपुर.
 04. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय रायपुर.
 05. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर.
 06. महालेखाकार छ.ग. रायपुर.
 07. कलेक्टर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.).
 08. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर.
 09. कोषालय अधिकारी जिला-कोषालय सूरजपुर.
 10. चन्द्रभूषण मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य
 11. कार्यालय प्रति.


प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय ओडगी

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mall. - pri.gdc.surajpur@gmail.com Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 459/स्था./2017

सूरजपुर, दिनांक 26/08/2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी-30इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:- कार्यभार ग्रहण करने बावत्।

- संदर्भ:- 01. छत्तीसगढ़ शासन उ.शि.वि. के आदेश क्र0 एफ1-40/2017/38-1, नया रायपुर
दिनांक 14.08.2017
02. प्राचार्य, शासकीय महा0 ओड़गी के पत्र क्र. 119/स्था./2017 ओड़गी
दिनांक 17.08.2017

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र 01 के द्वारा श्री चन्द्र भूषण मिश्र, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय ओड़गी का स्थानान्तरण शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर में किया गया है, तदनुसार संदर्भ क्रमांक 02 के द्वारा शासकीय महाविद्यालय ओड़गी से दिनांक 17.08.2017 को कार्यमुक्त होकर इस महाविद्यालय में दिनांक 19.08.2017 के पूर्वान्ह में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है।


(डॉ0 एस.एस. अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
—> जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक ___/08/2017

पृ.क्रमांक ___/स्था./2017.

प्रतिलिपि :-

- 01 संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 02 अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ ।
- 03 प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय ओड़गी को सादर सूचनार्थ ।
- 04 कोषालय अधिकारी, सूरजपुर को सूचनार्थ ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-33/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1034/22/चयन/17/H दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री युनुस रजा बेग आ.ईस्लाम बेग, पुलिस थाना लाईन शेख रेडियों सेक्टर के पास कवर्धा जिला- कबीरधाम छ.ग. 491995	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR
2	श्री रविकांत जायसवाल आ. श्री बी.पी. जायसवाल, ग्राम अमरपुर पो.पेण्ड्रा जिला- बिलासपुर छ.ग.495119	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	UR
3	डॉ.प्रियंका सिंह आ श्री शंभूनाथ सिंह इन्द्रपुरी कॉलोनी दिग्विजय स्टेडिम के पीछे एस.बी.टावर के पास राजनांदगांव छ.ग.491441	शासकीय स्नातकोत्तर दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
4	रजनी मंडल पति स्व.श्री केशव मंडल, बंगाली केम्प पो.किरन्दुल जिला-दंतेवाड़ा 494556	शास.महाविद्यालय, किरंदुल दंतेवाड़ा एवजीदार	UR-F
5	श्री सुयश सिंह आ.श्री राजबहादुर सिंह सी14/4 सिवरिया टाउनशिप म.प्र.पा.ज.कं.लि.कालोनी बीड़मुदी जिला- खंडवा म.प्र. 450110	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सरोना	UR
6	श्री प्रशांत साहू आ.श्री भीखमराम साहू एमआईजी183 चतुर्थ फ्लोर ब्लॉक 8 हिमाल्या हिगहिस डूमरतराई रायपुर छ.ग. 492015	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी जिला बस्तर	OBC /UR
7	श्री हेमन्त कुमार देशमुख आ. श्री नंदलाल देशमुख केमेस्ट्री प्वाइंट क्लास, गीतादेवी सदन मस्जिदरोड सरस्वती नगर कोटा, रायपुर 492010	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	OBC /UR
8	मितीशा बैद आ श्री उत्तम चंद बैद वार्ड 31 म.नं. 229 आपापुरा दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय स्नातकोत्तर नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
9	श्री संदीप कुमार कुशवाहा आ.श्री जगदीश प्रसाद कुशवाहा, एलाइंट इंस्टीट्यूट, बनारस रोड व्यायाम शाला के सामने वाली गली पटेलपारा अंबिकापुर जिला- सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय स्नातकोत्तर राजीवगांधी महाविद्यालय, अंबिकापुर	OBC /UR

5

14

H-1

24	श्री नवीन कुमार वर्मा आ.श्री सेवकराम वर्मा, रसायन शास्त्र विभाग शा.इंजिनियरिंग महावि. कोनी बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	OBC /UR
25	श्री जितेन्द्र कुमार आ.श्री बलरामजी भट्ट c/o प्रो. पी वेणुगोपालन, चेरमेन रसायन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 160014	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	UR
26	श्री विकेश कुमार झा आ श्री रामयोद्धा झा, एटी-पुरनाहिया हरनाहिया, सहियारा सीतामरही बिहार 843302	शासकीय रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	UR
27	डॉ श्रेणी देवांगन पति श्री अश्वनी कुमार एमआईजी-1 /136 महाराणा प्रताप नगर कोरबा छ.ग.495677	शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय, कोरबा	OBC/ UR-F
28	अनुराधा चौधरी पति श्री गणेश लाल पटेल, 3डी 101 अवध सोसाईटी गुरजिन्दर विहार ग्रेटर नोईडा उ.प्र. 201315	शासकीय जे. योगानंदम् छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	OBC/ UR-F
29	श्री सुमित श्रीवास्तव आ.श्री पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव म.311 पुरन नगर उन्नव उ.प्र.209801	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR
30	श्री हेमन्त कुमार कश्यप आ.श्री भरत लाल कश्यप c/o श्री सुशील कुमार इंदिरा कालोनी तारबाहर हाईस्कूल के पास बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	OBC /UR
31	सरबजोत कौर मक्कड़ आ.डॉ बलबीर सिंह मक्कड़ डी 118 पीएसई पीएमएल सीएसआईआर एसीएल पुणे महाराष्ट्र 411008	शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	UR-F
32	श्री संदीप कुमार वैष्णव आ श्री संतोष वैष्णव बैरागी पारा वार्ड 3 छुईखदान जिला- राजनांदगांव छ.ग. 491885	शास.महा. कुरुद जिला धमतरी	OBC
33	श्री अमित कुमार साहू आ श्री गोपाल राम कारगिल चौक के पास विन्ध्यवासिनी वार्ड धमतरी छ.ग.493773	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC
34	संध्या बघेल आ श्री श्यामचरण बघेल सच्चिपुरम शिवाजी वार्ड मुंगेली, छ.ग. 495334	शासकीय जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा	SC/ UR-F
35	श्री राकेश कुमार साहू आ श्री संतनराम साहू, ग्राम चुलकटटा पो सेलूद,तह.पाटन जिला-दुर्ग छ.ग. 491107	शासकीय बाबू छोटेलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC
36	रीमा साहू आ.श्री दानीदास साहू नंदई चौक वार्ड-39 राजनांदगांव छ.ग. 491441	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	OBC/ UR-F
37	श्री विजय कुमार लहरे आ.श्री राजाराम लहरे,ग्राम पों कुरदा व्हाया चांपा,जिला-जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	SC
38	श्री नासिर अहमद आ. मो.फकीरा शास.कन्या पॉलीटेक्निक धरमपुरा 2 जगदलपुर जिला-बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव	OBC
39	श्री डाकेश्वर कुमार वर्मा आ श्री सदाबुज वर्मा, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र विभाग वि.ई.सी लखनपुर सरगुजा वि.वि.अंबिकापुर छ.ग.497116	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	OBC

85

M-


H-3

57	योगिता ठाकुर आ. श्री पी.आर ठाकुर उत्तर वसुन्धरा नगर अमदारोड भिलाई 3 दुर्ग छ.ग. 490021	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद	ST-F
58	शशिबाला किन्डो आ श्री पावल किन्डो,कोसानगर बुद्ध विहार के पास पी.ओ. नेहरू नगर भिलाई जिला दुर्ग छ.ग. 490020	शासकीय दूधाधारी बजरंग स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रायपुर	ST-F
59	श्री जितेन्द्र कुमार स्वर्णपाल आ श्री तीजराम स्वर्णपाल पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड मेहता नगर भाटापारा जिला बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	SC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।





4-5

9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-11/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1034/22/चयन/17/H दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के

ML H-6

पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।

(15) संबंधित सर्वश्री.....

..... कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M-7

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 14/06/2018

क्रमांक एफ 1-25/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री तुलसीराम राहगडाले, पिता श्री उरकोडी लाल राहगडाले, ग्राम.पो. लिंगा, तह.बैहर, बालाघाट (म.प्र.) 481556	शासकीय रेवती रमन मिश्रा महाविद्यालय, सूरजपुर	UR
2	वदना धन्डोरे-पता साहू सदन के पास केलाबाड़ी, पो कसारीडीह, तह.जिला- दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बल्लोद	UR
3	श्री राजीव कुमार पाणीग्राही, आ श्री नंदकुमार पाणीग्राही, ग्राम पोस्ट आसना, तह.जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) 494221	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाडा	UR
4	श्री मजूषा शर्मा, कोठारी इन्टीट्यूट, प्लेट न.1 आरएसबी टावर, आनंद हॉटल के पीछे बिलासपुर (छ.ग.) 495001	शासकीय राजीवगांधी कला / वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- 2 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 3 नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4 पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

- (1) मान. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3 मंत्रालय, नया रायपुर की ओर
यू.ओ.क.258 दिनांक 4.5.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (9) संबंधित कलेक्टर, जिला -सूरजपुर/वालोद/दंतेवाड़ा/लोरमी (छ.ग.)।
- (10) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2521
/95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 6.2.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (11) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि
इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर (छ.ग.)
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर
अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के
पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के
सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत
अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें तथा शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध
करावें।
- (14) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, (छ.ग.)।
- (15) संबंधित श्री बुलरती राक राहंसाले

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (16) आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 11/07/2018

क्रमांक एफ 1- 16/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री चंदन कुमार पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल C/o लोहरदगा ट्रेडर्स (कोली कोर्डन) दूसरा फ्लोर, इलाहाबाद बैंक के उपर मेनका सिनेमा एम.जी.रोड पो.जिला-लोहरदगा, झारखंड, 835302	शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर	UR
2	कविता कृष्णमूर्ति पति श्री इंद्रजीत कुमार सिंग, क्वा 3/189/1 रामपुर, रामनगर, वाराणसी, उ.प्र.221008	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी	UR
3	श्री सुशील कुमार राठौर, आ.श्री महेन्द्र कुमार राठौर, चर्च पाड़ा गायत्री नगर, पो.आ.लमटी बहाल, ब्रजराजनगर, जिला झारसुगुड़ा ओडिसा, 768230	शासकीय महाप्रभू वल्लभाचार्य पी.जी.महाविद्यालय, महासमुंद	UR

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी

.....2



//2//

की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 11/07/2018

पृ.क्र. एफ 1-16/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

.....3

- (6) निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(8) कलेक्टर, जिला सुरजपुर (छ.ग.)।
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 605/22/चयन/17/11/Y दिनांक 17.5.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
(13) संबंधित प्राचार्य, बिलासपुर रेवती रमन मिश्रा महाविद्यालय की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला सुरजपुर (छ.ग.)।
(15) संबंधित सर्वश्री चन्द्रन कुमार, लोहदरगा (झारखण्ड)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(16) आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 02/07/2019

क्रमांक एफ 1-4/2015/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक/प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- (सातवें वेतनमान में संशोधित अनुसार) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	रीना कुमारी पिता श्री गिरजा शंकर राय, गंगा हास्टल कमरा नं. 115 त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, बनारस हिन्दी विश्वविद्यालय, वाराणसी, 221005	शासकीय नवीन महाविद्यालय, फरसगांव, जिला- कोण्डागांव	UR
2	श्री रावेन्द्र सिंह पटेल पिता श्री रामहेत सिंह पटेल C/O श्री नंदलाल सिंह ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय सतना, जिला- सतना म.प्र. 485001	शास.वीर गेंदसिंह महाविद्यालय, पखाजूर, जिला-कांकेर	UR
3	श्रीमती रीता सिंह पति श्री राजेश सिंह द्वारा सुभाषिनी इन्टरप्राइजेस प्रतापपुर नाका अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.497001	शास.महात्मागांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया, जिला-रायगढ़	UR
4	आनंद कुमार पैकरा पिता श्री सियानी राम, ग्राम सावांटोली, पो. कुकुरभूका, तह.-पत्थलगांव, जिला-जशपुर छ.ग. 496220	शास.रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर जिला-सूरजपुर	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति

M-81

प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेंगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 एवं 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं (कमांक 591/2012 रिट पिटीशन(सी)कमांक 592/2012 रिट पिटीशन(सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन(सी) कमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(सरोज उईके)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 1-4 / 2015/38-1
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 02/ 07/ 2019

- (1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
 - (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
 - (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
 - (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
 - (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
 - (6) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर।
 - (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 - (8) कलेक्टर, जिला कोण्डागांव/कांकेर/रायगढ़/सूरजपुर (छ.ग.)।
 - (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 620/ 95/ 2010/चयन दिनांक 27.5.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 - (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
 - (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय,..... (छ.ग.)।
 - (12) प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
 - (13) जिला कोषालय अधिकारी, जिला -कोण्डागांव/कांकेर/रायगढ़/सूरजपुर (छ.ग.)।
 - (14) संबंधित कृपया कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (15) आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,

NAAC GRADE-B

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)



Ph. No. 07775-266657 E.mail- pri.gdc.surajpur@gmail.com Web.-www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 245/स्था./ 2017.

सूरजपुर, दिनांक 19/07/2017.

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची में प्रथम आवेदक को अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	मीना गुप्ता	अर्थशास्त्र
02	अकीब आलम	अंग्रेजी
03	डॉ. रचना सिंह	राजनीतिशास्त्र
04	श्रीमती मथुरा महेश्वरी	समाजशास्त्र
05	संगीता तिवारी	हिन्दी
06	प्रियदीप परीड़ा	वाणिज्य
07	हीरालाल निषाद	रसायनशास्त्र
08	डॉ. अर्चना पाण्डेय	वनस्पतिशास्त्र
09	सुमन विश्वकर्मा	जन्तुविज्ञान
10	दीपक कुमार तिवारी	गणित
11	कुसुम यादव	भौतिक

नियम शर्त :-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्त अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ दिनांक 25/07/2017 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।

o/c


(डॉ. एस. एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा. सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 379 / स्था. / 2018

सूरजपुर, दिनांक 06/08/2018

:: आदेश ::

छ.न. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	श्री गोविन्द प्रसाद यादव	भौतिकी
02	श्री दिव्यदित्य सिन्हा	अंग्रेजी
03	श्री पवन कुमार उपाध्याय	अर्थशास्त्र
04	श्री कृष्णाति यादव	रसायन

नियम व शर्तें :-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी हैं जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 14/08/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 6/08/2018

पृ.क्रमांक 379 / स्था. / 2018.

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

ok

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

NAAC GRADE - B

पत्र क्रमांक 415 / स्था. / 2018

सूरजपुर, दिनांक 23/08/2018

: : आदेश : :

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविधा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	श्री मुकेश कुमार सिंह	राजनीति विज्ञान
02	कु. भावना पटेल	रसायन शास्त्र

नियम व शर्तें:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 28/08/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।


(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक ___/08/2018

पृ.क्रमांक ___/स्था./2018.

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 404/ स्था. /2018

सूरजपुर, दिनांक 20/08/2018

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	श्री विष्णु कुमार	कम्प्यूटर एप्लीकेशन

नियम व शर्तें:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी हैं जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 25/08/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।


(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक _____/स्था./2018.

सूरजपुर,दिनांक ____/08/2018

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय फोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 395/ स्था. /2018

सूरजपुर, दिनांक 13/08/2018

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविधा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	कु. किरण राजवाड़े	गणित
02	श्री भंवर सिंह साहू	अर्थशास्त्र

नियम व शर्तें -

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी हैं जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 20/08/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।


(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक ___/08/2018

पृ.क्रमांक ___/स्था./2018.
प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला --सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-26665 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 441 / स्था. / 2018

सूरजपुर, दिनांक 30/08/2018

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयो की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	श्रीमती आरती दिक्षीत	अर्थशास्त्र

नियम व शर्त:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 01/09/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक _____ / स्था. / 2018.

सूरजपुर, दिनांक ____ / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्राक्षी भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक / स्था. / 2018

सूरजपुर, दिनांक 04/09/2018

: : आदेश : :

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	कु. सय्यदा जेबा बख्तियार	रसायन शास्त्र

नियम व शर्त:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।
- 03 नियुक्ति अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 04 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 05 उक्त नियुक्त आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ आज दिनांक से दिनांक 08/09/2018 को पूर्वान्ह 10.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित हो। इस तिथि को अनुपस्थिति की दशा में मेरिट क्रम में अगले आवेदक को अवसर प्रदान कर दिया जावेगा।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर,दिनांक 04/09/2018

पृ.क्रमांक 456 / स्था. / 2018.

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ. एस.एस.अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,

महाविद्यालय कोड - 3501

जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com

Web- www.govtcollegesurajpur.ac.in

पत्र क्रमांक 228 / स्था. / 2019

सूरजपुर, दिनांक 03/09/2019

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का आदेश क्र.
01	श्री भानु प्रताप आहिरे ✓	हिन्दी	WPS No.3890 OF 2019 Dated 16.05.2019
02	श्री विष्णु कुमार ✓	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	WPS No.4279 OF 2019 Dated 18.06.2019
03	श्रीमती सुप्रिया तिवारी ✓	वनस्पति विज्ञान	WPS No.3865 OF 2019 Dated 15.05.2019
04	सुश्री किरण राजवाड़े ✓	गणित	WPS No.3698 OF 2019 Dated 14.05.2019
05	श्री दिव्यादित्य सिन्हा ✓	अंग्रेजी	WPS No.3697 OF 2019 Dated 17.05.2019
06	सुश्री सय्यदा जेबा बख्तियार ✓	रसायन शास्त्र	WPS No.3832 OF 2019 Dated 15.05.2019
07	श्री गोबिन्द प्रसाद यादव ✓	भौतिक शास्त्र	WPS No.3898 OF 2019 Dated 15.05.2019
08	श्री हेमन्द्र कुमार सेन ✓	समाज शास्त्र	WPS No.3825 OF 2019 Dated 15.05.2019
09	श्री धीरेन्द्र जायसवाल ✓	वाणिज्य	WPS No.3824 OF 2019 Dated 16.05.2019
10	डॉ. पवन कुमार उपाध्याय X	अर्थशास्त्र	WPS No.3787 OF 2019 Dated 16.05.2019

नियम/शर्त:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 आमंत्रण स्वीकार करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 03 शिक्षकीय कार्य में लापरवाही करने/नियम/निर्देशों का पालन न करने/कार्य असंतोष जनक पाए जाने पर किसी भी समय आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
- 04 आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 05 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- X 06 उक्त आमंत्रित किए गए आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ दिनांक 07/09/2019 को दोपहर 02.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- 07 उक्त आमंत्रण के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याता किसी अधिमानिक व्यवहार के/नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि.स्नातकोत्तर महा0 सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 03/09/2019

पृ.क्रमांक 229 / स्था. / 2019.

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।

Principal

Govt. R. R. M. College
Surajpur (C. G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवतीरमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,
जिला -सूरजपुर (छ0ग0)

NAAC GRADE - B

Ph. No. 07775-266657 E.Mail. - pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in/ pri.gdc.surajpur@gmail.com
महाविद्यालय कोड- 3501 Web- www.govtcollegesurajpur.in

पत्र क्रमांक 290 / स्था. / 2019

सूरजपुर, दिनांक 26/09/2019

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था हेतु निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा पश्चात निम्नांकित विषयों की मेरिट सूची से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है :-

क्र.	नाम	विषय
01	श्री अलंकृत लकड़ा	राजनीतिशास्त्र
02	श्री मोहन लाल	राजनीतिशास्त्र

नियम/शर्त:-

- 01 शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- 02 आमंत्रण स्वीकार करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 03 शिक्षकीय कार्य में लापरवाही करने/नियम/निर्देशों का पालन न करने/कार्य असंतोष जनक पाए जाने पर किसी भी समय आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
- 04 आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- 05 समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- 06 उक्त आमंत्रित किए गए आवेदक शैक्षणिक अर्हताओं की मूल प्रतियों के साथ दिनांक 28/09/2019 को दोपहर 02.30 बजे तक प्राचार्य कार्यालय में उपस्थित होंगे।
- 07 उक्त आमंत्रण के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याता किसी अधिमानिक व्यवहार के/नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।


(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 26/09/2019

पृ.क्रमांक 291 / स्था. / 2019.

प्रतिलिपि :-

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- 02 कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- 03 संबंधित को सूचनार्थ व पालनार्थ।




(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर,

NAAC GRADE-B

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

College Code-3501

Ph. No. 07775-266657 E.mail-pri.gdc.surajpur@gmail.com/pri-rmpgsurajpur.cg@gov.in

Web.-www.govtcollegesurajpur.ac.in

पत्र क्रमांक 901 /स्था./ 2020.

सूरजपुर,दिनांक 02/03/2020.

आदेश

महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर कक्षाओं (सेमेस्टर प्रणाली) तथा कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों में अध्यापन आवश्यकता एवं विभागाध्यक्षों की अनुशंसा के आधार पर महाविद्यालय में माह फरवरी 2020 तक आमंत्रित निम्न अतिथि व्याख्याताओं को दिनांक 03.03.2020 से आगामी आदेश तक अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

01	वनस्पतिशास्त्र	-	श्रीमती सुप्रिया तिवारी
02	रसायनशास्त्र	-	कु. जेबा बख्तियार
03	वाणिज्य	-	श्री धीरेन्द्र कुमार जायसवाल
04	हिन्दी	-	श्री भानु प्रताप अहिरे
05	समाजशास्त्र	-	श्री हेमेन्द्र कुमार सेन
06	राजनीतिशास्त्र	-	01 श्री मोहन लाल 02 श्री अलकृत लकड़ा
07	अर्थशास्त्र	-	डॉ. पवन कुमार उपाध्याय
08	कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	-	श्री विष्णु कुमार

आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं के सम्बन्ध में शेष शर्तें पूर्ववत लागू रहेगी।



(डॉ. एस. एस. अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा. सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 902 /स्था./ 2020.
प्रतिलिपि :-

सूरजपुर,दिनांक 02/03/2020.

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 02 सम्बंधित विभागाध्यक्षको सूचनार्थ
- 03 सम्बंधित अतिथि व्याख्याताको सूचनार्थ पालनार्थ।


(डॉ. एस. एस. अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा. सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र.-724/126/आउशि/राज.स्था./2021 दिनांक-18.10.21 के परिपालन में महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता हेतु व्यवस्था हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 21.10.2021 से आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	नाम	विषय	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का आदेश क्र.
1	डॉ. पवन कुमार उपाध्याय	अर्थ शास्त्र	WPS No.3787 OF 2019 Dated 16.05.2019

नियम/शर्तें :-

07. शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त व्याख्याता पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
08. आमंत्रण स्वीकार करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
09. शिक्षकीय कार्य में लापरवाही करने/नियम/निर्देशों का पालन न करने/कार्य असंतोष जनक पाए जाने पर किसी भी समय आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
10. आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
11. समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
12. उक्त आमंत्रण के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याता किसी अधिमानय व्यवहार के/नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।

(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 320/ परीक्षा/2021

सूरजपुर, दिनांक 21/10/2021

प्रतिलिपि :-

04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
05. कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
06. संबंधितको सूचनार्थ व पालनार्थ।
- 07.

(डॉ० एस.एस. अग्रवाल) 21.10.21
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 316/ परीक्षा/2021

सूरजपुर, दिनांक 30/10/2021

:: आदेश ::

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र.-724/126/आउशि/राज.स्था./2021 दिनांक-18.10.21 के परिपालन में महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता हेतु व्यवस्था हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 21.10.2021 से आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	नाम	विषय	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का आदेश क्र.
1	श्री भानू प्रताप आहिरे	हिन्दी	WPS No.3890 OF 2019 Dated 16.05.2019
2	श्री विष्णु कुमार	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	WPS No.4279 OF 2019 Dated 18.06.2019
3	श्रीमती सुप्रिया तिवारी	वनस्पति विज्ञान	WPS No.3865 OF 2019 Dated 15.05.2019
4	सुश्री किरण राजवाड़े	गणित	WPS No.3698 OF 2019 Dated 14.05.2019
5	दिव्यादित्य सिन्हा	अंग्रेजी	WPS No.3697 OF 2019 Dated 17.05.2019
6	सुश्री सय्यदा जेबा बख्तियार	रसायन शास्त्र	WPS No.3832 OF 2019 Dated 15.05.2019
7	श्री गोविन्द प्रसाद यादव	भौतिक शास्त्र	WPS No.3898 OF 2019 Dated 15.05.2019
8	श्री हेमेश कुमार सेन	समाज शास्त्र	WPS No.3825 OF 2019 Dated 15.05.2019
9	श्री धीरेन्द्र जायसवाल	वाणिज्य	WPS No.3824 OF 2019 Dated 16.05.2019

नियम/शर्त :-

- शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त व्याख्याता पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- आमंत्रण स्वीकार करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शिक्षकीय कार्य में लापरवाही करने/नियम/निर्देशों का पालन न करने/कार्य असंतोष जनक पाए जाने पर किसी भी समय आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
- आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
- समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
- उक्त आमंत्रण के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याता किसी अधिमानय व्यवहार के/नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।

(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)

प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 30/10/2021

पत्र क्रमांक 317/ परीक्षा/2021

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
- संबंधितको सूचनार्थ व पालनार्थ।

(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)
Principal
Govt. R.R.M. College
Surajpur (C.G.)

पत्र क्र. 337

:: आदेश ::

सूरजपुर दिनांक 25.10.21

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तथा कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्र.-724/126/आउशि/राज.स्था./2021 दिनांक-18.10.21 के परिपालन में महाविद्यालय में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों पर अतिथि व्याख्याता हेतु व्यवस्था हेतु माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 25.10.2021 से आमंत्रित किया जाता है :-

क्र	नाम	विषय	माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय का आदेश क्र.
1	अलंकृत लकड़ा	राजनीति शास्त्र	WPS No.1928 OF 2020 Dated 22.05.2020
2	पूर्णिमा कंवर	इतिहास	WPS No.1838 OF 2020 Dated 20.05.2020

नियम/ शर्तें :-

13. शैक्षणिक कार्य हेतु उक्त व्याख्याता पूर्णतः अस्थायी है जो कभी भी किसी भी समय सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी।
14. आमंत्रण स्वीकार करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. शिक्षकीय कार्य में लापरवाही करने/नियम/निर्देशों का पालन न करने/कार्य असंतोष जनक पाए जाने पर किसी भी समय आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा।
16. आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं को प्रति काल खण्ड 200/- (एक दिन में अधिकतम 04 काल खण्ड) के दर से (प्रतिमाह अधिकतम 20800/-) मानदेय भुगतान किया जावेगा।
17. समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
18. उक्त आमंत्रण के आधार पर आमंत्रित अतिथि व्याख्याता किसी अधिमानय व्यवहार के/नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।


(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 338 / परीक्षा / 2021

सूरजपुर, दिनांक 25/10/2021

प्रतिलिपि :-

08. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
09. कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
10. संबंधितको सूचनार्थ व पालनार्थ।


(डॉ० एस.एस. अग्रवाल)
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. स्नातकोत्तर महा० सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर,

जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 255 / अतिथि व्याख्याता / स्था. / 2016.

सूरजपुर दिनांक 16/07/2016

:: आदेश ::

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 138/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2016 रायपुर दिनांक 01.06.2016 के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा एवं मेरिट सूची के आधार पर चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नांकित आवेदको को निम्न शर्तों के अध्याधीन अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। आप अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ दिनांक दोपहर 12.00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित हो। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने की स्थिति में यह आमंत्रण स्वयंमेव निरस्त माना जाएगा।

क्रमांक	नाम	विषय
01.	किरण राजवाडे	गणित
02.	गोविन्द्र प्रसाद यादव	भौतिकी
03.	सुप्रिया तिवारी	वनस्पतिशास्त्र
04.	सैय्यदा जेबा बख्तियार	रसायनशास्त्र
05.	मुकेश कुमार सिंह	राजनीतिशास्त्र
06.	नेहा पाण्डेय	अंग्रेजी
07.	पारूल जैन	हिन्दी
08.	अकित कुमार तिवारी	अर्थशास्त्र
09.	सुप्रिया पाण्डेय	वाणिज्य
10.	मंजू सोनी	राजनीतिशास्त्र
11.	पूनम यादव	जन्तुविज्ञान

नियम एवं शर्तें :-

1. यह आमंत्रण अध्यापन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है तथा यह व्यवस्था सत्र 2016-2017 में (अध्यापन कार्य होने) तक है, स्थानांतरण अथवा नियमित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करते ही यह आमंत्रण स्वमेव समाप्त हो जाएगा।
2. यह आमंत्रण आपको प्रतिदिन चार व्याख्यान के लिए दिया जाता है तथा उक्त व्याख्यान के लिए आपको प्रति व्याख्यान 200.00 रुपये (अधिकतम 800.00 रुपये प्रतिदिन तक) की दर से मानदेय देय होगा जो प्रतिमाह 20800.00 (बीस हजार आठ सौ) से अधिक नहीं होगा। प्रति व्याख्यान 40 मिनट का होगा।
3. अतिथि व्याख्याताओं का आमंत्रण भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
4. आप महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को ध्यान में रखकर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
5. समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आदेश/निर्देश सभी पर बाध्यकारी होंगे।
6. नियुक्ति के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

S.S. Jaiswal
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. महाविद्यालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 16/07/2016

पृष्ठांकन क्रमांक 256 / अतिथि व्याख्याता / स्था. / 2016.

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, शासकीय स्नातकोत्तर महा. अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा।
3. कलेक्टर, सूरजपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. लेखा शाखा, शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित को सूचनार्थ एवं पासनार्थ।

S.S. Jaiswal
प्राचार्य

शासकीय रे.र.मि. महाविद्यालय सूरजपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)